



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 1032 वर्ष 2026

रमेश चन्द्र

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : निर्भय कुमार भारती

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री निर्भय कुमार भारती तथा राज्य की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे दिनांक 22.08.1990 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था, तत्पश्चात 22.08.2008 को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई और आगे 30.06.2022 को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके वेतन निर्धारण में त्रुटि है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हो गया है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने वेतनमान में सुधार के लिए निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की है।
4. इसके विपरीत, स्टैंडिंग काउंसिल का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
5. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता स्वयं द्वारा सत्यापित रिट याचिका की प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या-4 के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या-4 विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

जनवरी 29, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"